

क्रमांक:-प 13(2)साप्र / 2 / 2013

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

जयपुर, दिनांक: 20.11.2020

- संशोधित आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार पंचायती राज्य संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के 21 जिलों में होने वाले आम चुनाव के सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने तथा आदर्श आचार संहिता की पालन कराये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी दो समसंख्यक पत्र दिनांक 20.11.2020 में चतुर्थ चरण मतदान दिवस में सहवन से दिनांक 05.12.2020 (शनिवार) के स्थान पर दिनांक 1.12.2020 (मंगलवार) अंकित हो गया था। अतः कृपया चतुर्थ चरण मतदान दिवस दिनांक 5.12.2020 (शनिवार) पढ़ा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(डॉ मोहन लाल यादव)
विशिष्ट शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, राखिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ 7(1)(1)पंचा. / रा.नि.आ. / 2020 / 18136

दिनांक : 20.11.20

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत), अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव